भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
(वाहक सेवा प्रकोष्ठ)

सं. 18-05/2009-सीएस-II दिनांकः 12.01.2016

विषयः अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) से संबंधित नीति में संशोधन के बारे में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान करने का निदेश हुआ है। इस संशोधन के माध्यम से इस विभाग की दिनांक 05 अगस्त, 2008 की ओएसपी पंजीकरण नीति (समय-समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया हैः

(i) एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) फर्मों को ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए वर्तमान ओएसपी पंजीकरण नीति में शामिल किया गया है।

(ii) भारतीय कंपनी अधिनियम-1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के अतिरिक्त, भारतीय कंपनी अधिनियम-2013, समय समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां भी ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र हैं।

2. इसके परिणामस्वरूप, इस विभाग के दिनांक 5 अगस्त, 2008 के पत्र सं. 18-2/2008-सीएस-I (समय-समय पर यथा संशोधित) में दी गई ओएसपी नीति के संबंधित अध्यायों में समुचित धारा (धाराओं) में संशोधन/परिवर्धन किया गया है जैसा कि इस पत्र के साथ संलग्न **अनुबंध-I** में ब्यौरा दिया गया है।

<u>टिप्पणी: किसी भी दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्राधिकृत माना जायेगा ।</u>

सिंघल

(संदीप कुमार सिंघल)
निदेशक (सी एस-I)

संलग्नः उपरोक्तानुसार अनुबंध-I

सेवा में,

दूरसंचार विभाग के सभी टर्म प्रकोष्ठों के अध्यक्ष।

प्रतिः

1. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टर्म मुख्या.)/उपमहानिदेशक (एएस-I)/उपमहानिदेशक (सुरक्षा) उपमहानिदेशक (एलएफपी)/उपमहानिदेशक (डीएस) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
2. उपमहानिदेशक (टर्म) नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को ऑनलाइन ओएसपी पंजीकरण सॉफ्टवेयर में संशोधन (संशोधनों) को कार्यान्वित करने के लिए।
3. निदेशक (आईटी), दूरसंचार विभाग, संचार भवन-ओएसपी से संबंधित वेबपृष्ठ पर परिपत्र को अपलोड करने के लिए।

अनुबंध-I

इस विभाग के दिनांक 5 अगस्त, 2008 के पत्र सं. 18-2/2008-सीएस-I में अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी के निबंधन एवं शर्तों के संबंधित अध्यायों में निम्नलिखित धाराओं में संशोधन/परिवर्धन किया गया है।

(i) ओएसपी पंजीकरण नीति दस्तावेज और समय-समय पर जारी संशोधनों में, अध्याय-I की धारा (ङ), जिसमें कंपनी की परिभाषा दी गई है, को छोड़कर, कंपनी शब्द को "कंपनी/एलएलपी" से प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) अध्याय-I की धारा-I में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा-

"एलएलपी से अभिप्राय ऐसी फर्म से है जो भारत में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम-2008 के अंतर्गत शामिल एवं पंजीकृत हो।"

(iii) अध्याय-II की धारा-2(i) इस प्रकार होगी,
"ओएसपी पंजीकरण हेतु पात्र कंपनियों को या तो भारतीय कंपनी अधिनियम-1956 अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम-2013, समय-समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या "एलएलपी अधिनियम 2008, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत पंजीकृत एलएलपी होना चाहिए।"

(iv) अध्याय-II की धारा-2(iii), इस प्रकार होगी-
"प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज"

(क) अनिवार्य दस्तावेजः

क्र. सं.	कंपनी के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज	एलएलपी के मामलों में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1.	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समामेलन प्रमाणपत्र	एलएलपी के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी समामेलन प्रमाणपत्र
2.	संघ का ज्ञापन एवं आर्टिकल	एलएलपी के सभी साझेदारों के मध्य होने वाले करार की प्रति
3.	सत्यापित हस्ताक्षर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पत्र अथवा मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी)	एलएलपी करार/एलएलपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पदनामित साझेदारों अथवा सभी साझेदारों द्वारा पारित संकल्प जिसमें सत्यापित हस्ताक्षर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया हो।
4.	प्रस्तावित ओएसपी के कारोबार/कार्यों की प्रकृति से संबंधित नोट।	प्रस्तावित ओएसपी के कारोबार/कार्यों की प्रकृति से संबंधित नोट।

(ख) यदि वास्तविक जानकारी अनिवार्य दस्तावेजों से भिन्न है, तो प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजः

क्रम सं.	कंपनी के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	एलएलपी के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1.	कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची	एलएलपी के सभी साझेदारों और वर्तमान पदनामित साझेदारों की सूची।
2.	इक्विटी (भारतीय इक्विटी और विदेशी इक्विटी) का ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी की मौजूदा शेयरधारिता का प्रतिरुप।	सभी साझेदारों की इक्विटी (भारतीय इक्विटी और विदेशी इक्विटी)/योगदान के ब्यौरे को दर्शाते हुए एलएलपी की मौजूदा शेयरधारिता का प्रतिरुप।

(ग) (i) कंपनी के मामले में सभी दस्तावेजों को कंपनी सचिव अथवा कंपनी के किसी निदेशक अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों अथवा सार्वजनिक नोटरी की मुहर के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ii) एलएलपी के मामले में, सभी दस्तावेजों को पदनामित साझेदारों अथवा सभी साझेदारों या सांविधिक लेखा परीक्षकों अथवा सार्वजनिक नोटरी की मोहर के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) पदनामित साझेदारों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और/अथवा एलएलपी करार में कोई परिवर्तन किए जाने की स्थिति में, एलएलपी फर्म इस विभाग को 30 दिनों के भीतर सूचित करेगी।

(v) दूरसंचार विभाग की वर्तमान अन्य सेवा प्रदाता पंजीकरण नीति में अध्याय-VI की धारा 1(2) और धारा 1(3) के बीच में एक धारा जोड़ी गई है:

"(3) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के तहत निर्धारित भागीदार दूरसंचार विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और ओएसपी पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों के तहत कोई विनियामक उल्लंघन किए जाने पर लगाई जाने वाली शास्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।"

*****